न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 29/2020
3. उनवान : सरकार जरिये बाबूलाल यादव, कृषि अधिकारी
   बनाम
   मैसर्स समृद्धि आर्गेनिक्स, G-1-17 जैतपुरा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर प्रोपराइटर श्री मनीष सैनी पुत्र श्री गणेशलाल सैनी निवासी ढेढी ढाणी, रामगढ शेखावटी, जिला सीकर।
4. निर्णय दिनांक : 09.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री आर.डी. सोनी अप्रार्थी संख्या की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी कृषि अधिकारी, कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद, जयपुर श्री बाबूलाल यादव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.07.2019 को मैसर्स समृद्धि आर्गेनिक पर पहुंचे। मौके पर गोदाम के निरीक्षण के दौरान मैसर्स समृद्धि आर्गेनिक G-1-17 जैतपुरा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर द्वारा निर्मित जैव उर्वरकों के विभिन्न ब्रांड भण्डारित किये हुए मिले, मौके पर निर्माता कम्पनी के मालिक श्री मनीष सैनी उपस्थित मिले। दौराने निरीक्षण फर्मों/मालिक को जैव उत्पादों/उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जिसमें से केवल 4 ई–वे बिल की प्रतियां तथा लिखित पत्र के माध्यम से स्टॉक का विवरण दिया गया। दौराने निरीक्षण फर्म के उत्पादों के कन्टेनर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माता फर्म द्वारा जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है, जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा सी (VI)&(VII) का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति मे Humic Gold 170 Ltr. , Samridhi Gold 91.50 Ltr. and Granulated Organic Manure 80 Kg. को जब्त कर Annexure-AA सुपुर्दगीनामा, फर्द जब्ती, मौका नक्शा, शपथ पत्र आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक् रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी.सोनी ने दिनांक 20/07/2023 को उपस्थिति दी। तत्पश्चात अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 19.03.2024 को अप्रार्थी का जवाब बन्द कर इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक बहस में नियत रहने के दौरान अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थी/अभिभाषक में से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 09.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.07.2019 को जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित करने पर जब्त किया गया था। दौराने निरीक्षण फर्मों/मालिक को जैव उत्पादों/उर्वरकों के संबंध में स्टॉक रजिस्टर, बिल बुक, मासिक रिटर्न एवं प्राधिकार पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जिसमें से केवल 4 ई–वे बिल की प्रतियां तथा लिखित पत्र के माध्यम से स्टॉक का विवरण दिया गया। दौराने निरीक्षण फर्म के उत्पादों के कन्टेनर को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निर्माता फर्म द्वारा जैव उत्पादों को उर्वरक के रुप में पैकिंग कर विक्रय हेतु भण्डारित किया गया है। अप्रार्थी ने आज तक जब्त वस्तुओं के संबंध में कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। उक्त कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा सी (VI)&(VII) का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान Humic Gold 170 Ltr. , Samridhi Gold 91.50 Ltr. and Granulated Organic Manure 80 Kg. को राजसात किया जाता है। कृषि अधिकारी, कार्यालय उपनिदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।